15.11.2021

आज यह दरखास्त प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय में विचाराधीन दुरुस्ती जाति प्रमाण दरखास्त प्रार्थी के ली जाकर निस्तारण किया जावे। प्रार्थना पत्र के सापेक्ष में दरखास्त आज कैम्प ग्रा.पं. रामावाली में पुराना गांव के सर्व अभियान-2021 के दौरान ली गई दरखास्त का अवलोकन किया गया दरखास्त में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं TOR प्रार्थी के पिता अनुसूचित जाति के द्वारा जो आवंटन पट्टा किया अनुसूचित जाति जारी की गई है वही अनुसूचित जाति के जाति दर्ज है प्रार्थी ने यह प्रकरण धारा 136 LR Act में पेश किया है उक्त प्रकरण धारा 136 LR Act के बाद है अतः प्रार्थी का प्रार्थना धारा 136 LR Act अन्तर्गत निराकृत किया जाता है दरखास्त निकालकर दी जाकर निस्तारण किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(प्रियंका बिश्नोई, RAS)
वित्त अधिकारी
अधिकारी
कलेक्टर, श्री गंगानगर

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

Scanned with CamScanner